UPBJ010032142024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–

UP06041

सत्र परीक्षण सं0 659/2024

उ0प्र0 राज्य बनाम संजीदा उर्फ शमशीदा

मुकदमा अपराध सं0 299/2023
धारा 302,323,325,504,506,34 भा0दं0सं0
थाना कोतवाली शहर, जिला– बिजनौर।

आरोप

मैं, राम अवतार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर आप अभियुक्ता **संजीदा उर्फ शमशीदा** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 14–04–2023 को समय 2:30 बजे दिन ग्राम मण्डावली सैदू, अन्तर्गत थाना क्षेत्र थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर में आपने सह–अभियुक्तगण फरमान व सगीर के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान परआपने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी अब्बास अहमद की माता हनीफा व बहन शाबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी अब्बास अहमद की माता हनीफा को लाठी–डण्डों से मारपीट कर फ्रैक्चर पहुंचाया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी अब्बास अहमद के पिता सगीर, माता हनीफा व बहन शाबरा को गन्दी–गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया, जिससे प्रकोपित होकर वे कोई अपराध कर सकते थे। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद, माता हनीफा व बहन शाबरा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 19–03–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

अभियुक्ता को आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उसने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 19–03–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 659/2024
उ0प्र0 राज्य बनाम संजीदा उर्फ शमशीदा
मुकदमा अपराध सं0 299/2023
धारा 302,323,325,504,506,34 भा0दं0सं0
थाना कोतवाली शहर, जिला– बिजनौर।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा जिला कारागार से उपस्थित। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया। उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत् परिशीलन किया गया। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा के विरुद्ध धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोप विरचित किया जाना विधिसंगत पाया जाता है। अतः अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का आरोप नियमानुसार विरचित किया जाय।

दिनाँक 19–03–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।

तद्नुसार अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा के विरूद्ध धारा 302 सपठित 34, 323 सपठित 34, 325 सपठित 34, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन, दिनांक 28–03–2024 को पेश हो। साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनाँक 19–03–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।